राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या :–02/2019
अपील संख्या :–1572/2013

सोहनलाल पालीवाल

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. मुख्य शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 10.09.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री श्रवण सिंह शेखावत, सहायक सचिव

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में मुख्य रूप से यह प्रार्थना की है कि अपीलार्थी को हायर सुपर टाईम स्केल में वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की जावें। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के संबंध में डीपीसी की कार्यवाही को शीलबन्द लिफाफे में रखे जाने के आदेश दिये गये थे। उक्त लिफाफे को खोले जाने के पश्चात अपीलार्थी को हायर सुपर टाईम स्केल में वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान किये जाने के आदेश पारित किये गये है, परंतु अपीलार्थी को इस संबंध में लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित प्रभारी अधिकारी का कथन है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 04.02.2019 के द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के हायर सुपर टाईम स्केल में वर्ष 2013–14 की रिक्तियो के विरूद्ध सह–वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति एवं सभी लाभ प्रदान किये जा चुके हैं।
3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 04.02.2019 के द्वारा पदोन्नति दिये जाने के फलस्वरूप समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जाएं। इस आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)